

मोबाइल एप्लिकेशन के विकास

केलिए

निविदा सूचना

(एम एस टी सी ई निविदा सं. - SPICEB/19-20/ET/9)

## 1. परिचय

स्पाइसेस बोर्ड(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार) भारतीय मसालों के विकास और विश्वव्यापी संवर्धन का अग्रणी संगठन है। बोर्ड भारतीय निर्यातकों तथा विदेशी आयतकों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय कड़ी है।

## 2. कार्य की संभावना

कृपया अनुबंध-1 देखें ।

## 3. एजेंसी को सूचना

क) मसाला बोर्ड, प्रस्तुत किए गए किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है।

ख) प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व स्पाइसेस बोर्ड, किसी भी समय, किसी भी कारणवश, अपनी ही पहल पर या किसी आमंत्रित फर्म के स्पष्टीकरण के अनुरोध की प्रतिक्रिया में कार्य की संभावना का संशोधन कर सकता है। किसी भी प्रकार का संशोधन बोलीदाताओं की सूचना के लिए वेबसाइट पर दिया जाएगा और वह बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगा। स्पाइसेस बोर्ड अपने विवेक के अनुसार प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख बढ़ा सकता है।

ग) आवेदकों को अपनी निविदाएं प्रस्तुत करने से पहले निविदा में कोई बदलाव या संशोधन के लिए स्पाइसेस बोर्ड की वेबसाइट देखना आवश्यक है।

## 4. पात्रता मानदंड एवं अपेक्षित समर्थन दस्तावेज़

इ-निविदा प्रस्तुत करते समय पात्रता-मानदंड के प्रमाण के लिए समर्थक दस्तावेज़ों को अपलोड करना होगा । अन्यथा, बोली अयोग्य मानी जाएगी।

- 1) अतीत में कृषि संबंधित मोबाइल एप्प का निष्पादन किया होना चाहिए (प्रमाण अपलोड किया जाना है : ग्राहक द्वारा जारी परियोजना पूर्ति /संतुष्टि प्रमाणपत्र)
- 2) सरकारी एजेंसियों के लिए कृषि सोफ्टवेयर परियोजनाएं किया होना चाहिए और वर्तमान में कार्यात्मक होना चाहिए (प्रमाण अपलोड किया जाना है : ग्राहक द्वारा जारी परियोजना पूर्ति /संतुष्टि प्रमाणपत्र)
- 3) कार्य आदेश की स्वीकृति की तारीख से क्रमशः दो सप्ताह और दो महीने के भीतर चरण-1 और चरण-2 में परिभाषित प्रकार्यात्मकताओं के साथ किसानों के एप्प को प्रारंभ करने में सक्षम होना चाहिए। (प्रमाण अपलोड किया जाना है :स्व: घोषणापत्र)
- 4) बोलीदाता को सरकारी विभागों/केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों/राज्य सार्वजनिक उपक्रमों/वैधानिक निगमों या अन्य एम एन सी/कॉर्पोरेट निकायों की अपेक्षाओं के अनुसार एप्प

विकसित करने में कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए । इन मापदंडों के समर्थन में, बोलीदाता, उन संगठनों, जिसकेलिए बोलीदाताओं ने कार्य किए हैं, का ठेका/करार या पत्र प्रस्तुत करेगा। (प्रमाण अपलोड किया जाना है :कार्य आदेश की स्वतः प्रमाणित प्रतियां / ग्राहक द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों की प्रति)

- 5) इस बात, कि बोलीदाता को भारत सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम के द्वारा कालीसूची में शामिल नहीं किया गया है, के प्रमाण लिए एक घोषणा-पत्र (प्रमाण अपलोड किया जाना है : स्व-घोषणा-पत्र )
- 6) आयकर प्राधिकरणों द्वारा आवंटित स्थायी खाता संख्या (पैन) संलग्न होना चाहिए। पैन धारक और विक्रेता एक होना चाहिए। अंतर होने के मामले में, पैन धारक से एक पत्र संलग्न किया जाना है । (प्रमाण अपलोड किया जाना है : पैन की प्रति और उपर्युक्त के अनुसार अंतर होने के मामले में पैन धारक से पत्र संलग्न किया जाना है)
- 7) इसके अलावा निविदाकार के पास एक वैध जीएसटीएन प्रमाण पत्र और संख्या होनी चाहिए। [प्रमाण अपलोड किया जाना है: जीएसटीएन प्रमाण पत्र प्रतिलिपि]
- 8) ईएमडी छूट, यदि लागू हो [प्रमाण अपलोड किया जाना है: ईएमडी छूट प्रमाण पत्र]
- 9) वित्तीय बोली खोलने के पहले सक्रिय मोबाइल एप्प के प्रदर्शन की व्यवस्था की जानी चाहिए (प्रमाण अपलोड किया जाना है : पात्रता मानदंड 1 में सूचित किए अनुसार मोबाइल एप्प के प्रदर्शन की व्यवस्था के लिए स्व-घोषणा पत्र )
- 10) अनुबंध 3 में दिए गए प्रारूप में समर्थन दस्तावेजों की जांच सूची [प्रमाण अपलोड किया जाना है: विधिवत् भरा हुआ अनुबंध 3]

## 5. मूल्य बोली प्रपत्र (ऑनलाइन में प्रविष्टियाँ देनी होगी)

#	मद	कुल लागत - रुपयों में
क	कुल परियोजना लागत (लागू होने वाले कर सहित)	
ख	पहले वर्ष के लिए ए एम सी लागत (लागू होने वाले कर सहित)	
ग	दूसरे वर्ष के लिए ए एम सी लागत (लागू होने वाले कर सहित)	
घ	तीसरे वर्ष के लिए ए एम सी लागत (लागू होने वाले कर सहित)	
ङ	चौथे वर्ष के लिए ए एम सी लागत (लागू होने वाले कर सहित)	
च	पांचवें वर्ष के लिए ए एम सी लागत (लागू होने वाले कर सहित)	
छ	कुल परियोजना लागत (लागू होने वाले कर सहित), यदि स्रोत कोड स्पाइसेस बोर्ड को हस्तांतरित किया जाना है( मूल्यांकन के लिए इस मूल्य पर विचार नहीं किया जाएगा।)	

नोट 1 : **अनुबंध-1** में कार्य की संभावना दी है

नोट 2 : मूल्यांकन, मदों के कुल योग, अर्थात् मद (क)+(ख)+(ग)+(घ)+(ङ)+(च) तक, के आधार पर किया जाएगा

नोट 3 : एएमसी में सभी समस्या निवारण, मामूली परिवर्तन अनुरोध, अनुप्रयोग व सर्वर के अनुरक्षण, होस्टिंग, और ऑनसाइट सेवा समर्थन(जब भी आवश्यक हो/ कॉल करने पर) शामिल हैं

## 6. स्पष्टीकरण

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, उप निदेशक(ई डी पी) से [jijesh.das@nic.in](mailto:jijesh.das@nic.in) पर संपर्क कर सकते हैं ।

## 7. महत्वपूर्ण अनुदेश

यह स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची का इ-प्रापण इवेंट है। इ-प्रापण सर्विस प्रोवाइडर एम एस टी सी लिमिटेड, 225 सी, ए.जे.सी. बोस रोड, कोलकाता-700 020 है। आपसे अपनी ऑन-लाइन निविदा प्रस्तुत करने से पहले, इस निविदा के निबंधन व शर्तों को पढ़ने का अनुरोध किया जाता है। दस्तावेज़ी प्रमाण ( जहां कहीं अपेक्षित हो), के साथ शर्तों का अनुपालन न करनेवाले निविदाकार, मूल्य बोली खोलने की निविदा के लिए योग्य नहीं होंगे।

कृपया, अधिक जानकारी के लिए **अनुबंध-2** देखें।

## 8. निविदा की अनुसूची

1	निविदा का प्रकार	इ-प्रापण प्रणाली (एम एस टी सी लि.के <a href="https://www.mstcecommerce.com/eprochome/spiceb">https://www.mstcecommerce.com/eprochome/spiceb</a> के ज़रिए ऑन-लाइन पार्ट-1 - प्रौद्योगिक-वाणिज्यिक बोली एवं पार्ट-II मूल्य बोली )
2	संव्यवहार फ़ीस नोट: कृपया नोट करें कि विक्रेता को एम एस टी सी लि., कोलकाता के नाम संव्यवहार फ़ीस चुकाने के बाद ही ऑन-लाइन इ-निविदा में एक्सेस होगा।	1,180/- रुपए (18% की दर पर जी एस टी सहित) एम एस टी सी लिमिटेड के नाम संव्यवहार फ़ीस का भुगतान (खंड 4, अनुबंध 2 देखें) (संव्यवहार फ़ीस और संबंधित बैंक चार्ज बोली लगानेवाले के द्वारा चुकाए जाने हैं)
3	बोली आरंभ तारीख व समय	09-12-2019, सायं 4.30 बजे
4	बोली समापन तारीख व समय	31-12-2019, दोपहर बाद 3.00 बजे
5	पार्ट1(अर्थात् प्रौद्योगिक-वाणिज्यिक बोली) को खोलने की तारीख व समय	31-12-2019, दोपहर बाद 3.30 बजे

## 9. ई एम डी

किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से कोचिन में देय "सचिव, स्पाइसेस बोर्ड" के नाम लिए गए डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 10,000/- रुपए के बराबर की ई एम डी, बोलीदाताओं की ओर से प्रस्तुत की जानी चाहिए। ई एम डी तीन महीनों तक विधिमान्य होगी। ई एम डी के लिए बैंक गारंटी स्वीकार नहीं की जाएगी।

ई एम डी के बिना तकनीकी बोली का निरसन किया जाएगा। यदि सरकार द्वारा बयाना राशि के भुगतान से विशेष रूप से छूट दी गई हो, तो उसके कारण और प्रमाण इ-निविदा प्रस्तुत करते वक्त अपलोड किए जाने हैं।

असफल बोलीदाताओं की ई एम डी (बिना किसी ब्याज के ) निविदा के खोलने की तारीख के 45 दिनों के अंतर्गत वापस की जाएगी।

सफल बोलीदाताओं की ई एम डी रकम (बिना किसी ब्याज के )कार्य आदेश की स्वीकृति और "ठेका निष्पादन गारंटी" की प्रस्तुति के बाद 30 दिनों के अंतर्गत वापिस की जाएगी।

यदि विक्रेता द्वारा अपनी निविदा की विधिमान्यता की अवधि के अंतर्गत अपनी निविदा वापस लेने या उसका संशोधन किए जाने या निविदा का किसी भी प्रकार अनादर किए जाने की स्थिति में बयाना जमा ज़ब्त किया जाएगा।

ई एम डी "मोबाइल एप्लिकेशन के विकास के लिए ई एम डी" उपरिलिखित मोहरबंद लिफाफे में स्पीड पोस्ट/रजिस्ट्रीकृत डाक/दस्ती द्वारा निविदा के समापन-समय से पूर्व निम्नलिखित पते पर पहुंच जानी चाहिए :

**उप निदेशक(ई डी पी)**

**स्पाइसेस बोर्ड, सुगंध भवन**

**एन एच बै पास,पालारिवट्टम पी ओ, कोच्ची-25**

**टेली: 91-484-2333603 इ-मेल: [jjesh.das@nic.in](mailto:jjesh.das@nic.in)**

## 10. निष्पादन सुरक्षा जमा

निष्पादन सुरक्षा जमा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत (ए एम सी लागत को छोड़कर) होगा।

सफल बोलीदाता की ई एम डी को निष्पादन सुरक्षा जमा के भाग के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। सफल विक्रेता को निष्पादन सुरक्षा जमा की शेष राशि को कार्य आदेश की स्वीकृति के साथ छह महीने तक वैध बैंक गारंटी या डिमांड ड्राफ्ट के रूप में प्रदान करना होगा।

ई एम डी से छूट वाले सफल बोलीदाता को कार्य आदेश की स्वीकृति के साथ छह महीने तक वैध बैंक गारंटी या डिमांड ड्राफ्ट के रूप में निष्पादन सुरक्षा जमा प्रदान करना होगा।

स्पाइसेस बोर्ड को, एजेंसी की किसी भी लापरवाही या असंतोषजनक निष्पादन की स्थिति में, निष्पादन सुरक्षा जमा को जब्त करने और एजेंसी के बिल के खिलाफ देय राशि से दंड वसूलने का अधिकार होगा क्योंकि यह उचित माना जाता है। यदि आवश्यक समझा जाता है, तो एजेंसी को भविष्य में कालीसूची में शामिल भी किया जा सकता है।

निष्पादन सुरक्षा जमा को, परियोजना की सफल पूर्ति के 30 दिनों के भीतर (ए एम सी अवधि को छोड़कर) बिना कोई ब्याज के सफल बोलीदाता को समय-सीमा के अनुसार वापस किया जाएगा।

#### 11. भुगतान निबंधन

- यू ए टी की स्वीकृति के बाद तथा विक्रेता द्वारा एसटीक्यूसी (मानकीकरण परीक्षण गुणवत्ता प्रमाणन) से वेबसाइट गुणवत्ता प्रमाणन प्रस्तुत किए जाने पर कुल परियोजना लागत का भुगतान किया जाएगा।
- प्रत्येक ए एम सी वर्ष के अंत में ए एम सी लागत का भुगतान किया जाएगा।

#### 12. प्रदेय परियोजना :

- उपयोगकर्ता मैनुअल।
- उपयोगकर्ता प्रशिक्षण और कार्यान्वयन।
- पाँच वर्षों के लिए स्पाइसेस बोर्ड को बिना कोई अधिक खर्च के साथ अनुप्रयोग और सर्वर का अनुरक्षण।

नोट 1: यदि तृतीय पक्ष पुस्तकालय / कोड / प्लग-इन का उपयोग किया जाता है तो वह खुला स्रोत होना चाहिए।

नोट 2: यदि इस परियोजना के लिए कोई भुगतान सेवा ली जाती है, तो लाइसेंस, स्पाइसेस बोर्ड के नाम पर होना चाहिए।

#### 13. अन्य निबंधन व शर्तें

1. निविदा में कोई सहसंघ की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2. सफल विक्रेता कार्य आदेश प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर कार्य आदेश स्वीकार करेगा।

अन्यथा ई एम डी को ज़ब्त किया जाएगा।

3. कार्य आदेश की स्वीकृति के दो हफ्तों तथा चार हफ्तों के भीतर क्रमशः चरण 1 और चरण 2 में प्रस्तावित प्रकार्यात्मकताओं सहित कृषक एप्प प्रारंभ हो जाना चाहिए।
4. मोबाइल अनुप्रयोग तथा वेब अनुप्रयोग का विकास पूरी तरह 'Guidelines for Indian Government Websites(GIGW)' [<https://web.guidelines.gov.in/>] के अनुसार किया जाएगा। होस्ट किए जाने से पहले तथा प्रमुख संशोधनों के बाद मोबाइल अनुप्रयोग तथा वेब अनुप्रयोग का, CERT-IN द्वारा सूचीबद्ध एजेंसी से सुरक्षा लेखापरीक्षा की जाएगी ।
5. विक्रेता, मोबाइल अनुप्रयोग तथा वेब अनुप्रयोग दोनों के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए अनुसार मंत्रालय के मानकीकरण परीक्षण गुणवत्ता प्रमाणन(एसटीक्यूसी) से जीआईजीडबल्यू अनुपालन प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा।
6. CERT-IN द्वारा सूचीबद्ध एजेंसी से सुरक्षा लेखापरीक्षा पूरी करना तथा सभी आवश्यक प्रमाणपत्र प्राप्त करना, उसमें शामिल खर्च सहित, सेवा प्रदाता का उत्तरदायित्व होगा।
7. विक्रेता खुद, भारत में स्थित डेटा केंद्र /क्लाउड सर्वर में अनुप्रयोग होस्ट करने का प्रबंध करेगा। होस्ट करने का वातावरण 'Guidelines for Indian Government Websites (GIGW)' के अनुसार होगा। होस्ट करने का खर्च विक्रेता द्वारा वहँ करेगा।
8. प्रस्तुत करने की तारीख के बाद, कम से कम एक महीने के लिए निविदा वैध रहनी चाहिए। इस अवधि के दौरान, बोलीदाता से समनुदेशन के लिए प्रस्तावित पेशेवर कर्मचारियों को उपलब्ध रखने की उम्मीद है। स्पाइसेस बोर्ड इस अवधि के अंदर निविदा पर निर्णय लेने का अपना भरपूर प्रयास करेगा। यदि स्पाइसेस बोर्ड प्रस्तावों की वैधता अवधि बढ़ाने की इच्छा रखता है, तो बोलीदाता जो सहमत नहीं हैं, उनके पास अपने प्रस्तावों की वैधता न बढ़ाने का अधिकार है।
9. निविदा दस्तावेज का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता अपने हस्ताक्षर के नीचे उल्लेख करेगा कि वह स्वामि/साझेदार/ मुख्तारनामा के तहत हस्ताक्षर कर रहा/रही है/हस्ताक्षर करने के लिए कंपनी द्वारा प्राधिकृत है।
10. केवल उन्हीं कंपनियों, जो अपनी व्यक्तिगत क्षमता में पात्रता मानदंडों को पूरा करती हैं, इस निविदा में बोली लगा सकती हैं और बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत बोलियां, जो योग्यता मापदंडों को पूरा नहीं करती हैं, खारिज कर दी जाएंगी ।
11. बोलीदाता को अपेक्षित अवसंरचना और जनशक्ति होना चाहिए।
12. अपूर्ण निविदाएं खारिज कर दी जा सकती हैं।

13. आवश्यकता पडने पर , स्पाइसेस बोर्ड बोलीदाताओं से किसी भी विषय पर स्पष्टीकरण मांग सकता है। हालांकि, वह किसी भी निविदाकार को, दरों में बदलाव करने या किसी बदलाव के कारण का कोई अधिकार नहीं देता। दस्तावेज और बैठकों, यदि कोई है तो, की तैयारी के लिए सभी खर्च, निविदाकार द्वारा उठाया जाएगा।
14. एजेंसी को, विकास के लिए अनुभवी पेशेवर कर्मियों को लगाना चाहिए।
15. स्पाइसेस बोर्ड, एजेंसी के कर्मचारियों द्वारा कर्तव्यों का उचित निर्वहन के लिए किसी प्रकार का परिवहन, भोजन या किसी प्रकार का सहायक सामग्री प्रदान नहीं करेगा।
16. स्पाइसेस बोर्ड निविदाकार, जिसकी निविदा पर्याप्त रूप से अनुक्रियाशील पाई गई है और जिसे निम्नतम मूल्यांकित बोली के रूप में पाया गया है, उसको ठेका प्रदान करेगा, बशर्ते कि, निविदाकार संतोषजनक ढंग से कार्य निष्पादित करने के लिए सक्षम हो। हालांकि बोर्ड किसी भी निम्नतम या किसी निविदा को पूरी तरह से या कुछ हिस्सों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा। बोर्ड, इन निर्धारित शर्तों की पूर्ति के लिए मानदंडों में मामूली छूट देने का अधिकार रखता है।
17. स्पाइसेस बोर्ड, किसी भी निविदा को स्वीकार करने या तिरस्कार करने और निविदा प्रक्रिया को निष्प्रभावित करने और सभी बोलियों को, बोर्ड की कार्रवाइ से प्रभावित निविदाकार या निविदाकारों को उसके द्वारा किसी देयता का दायित्व दिए बिना, ठेका प्रदान करने से पहले किसी भी समय पर खारिज करने का अधिकार रखता है। इस संबंध में स्पाइसेस बोर्ड का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
18. स्पाइसेस बोर्ड और एजेंसी, उनके बीच या ठेके के संबंध में उत्पन्न असहमति या विवाद का सीधे अनौपचारिक बातचीत के द्वारा हल करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हालांकि, किसी भी अनसुलझा विवाद केवल केरल के अदालतों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे।
19. केवल उन पार्टियों के वित्तीय प्रस्ताव खोले जाएंगे, जिनके प्रमाण पत्र (तकनीकी बोलियां) बोर्ड की नामित समिति को संतोषजनक लगते हैं, जिसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
20. भ्रष्ट या धोखाधड़ी के व्यवहार: बोलीदाताओं को ऐसे ठेकों की खरीद और निष्पादन के दौरान उच्चतम नैतिकता का पालन करना चाहिए। स्पाइसेस बोर्ड, भारत उस प्रस्ताव को खारिज कर देगा यदि यह पाया जाता है कि प्रदान करने के लिए संस्तुत बोलीदाता को ठेके के लिए प्रतियोगिता में भाग लेते समय भ्रष्ट या धोखाधड़ी करता है।
21. लागू आय कर को स्रोत में से कम किया जाएगा।



## विस्तृत अपेक्षाएं

### उद्देश्य

अच्छी कृषि प्रथाओं के बारे में जानकारी के साथ किसानों को तैयार करें और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए उनका समर्थन करें। विभिन्न मसाले बोर्ड योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करें। संभावित खरीददारों के साथ उनको जोड़ें।

### प्रकार्यात्मकताएं (चरण 1)

1. एंड्रॉइड के लिए अलग मूल एप्प
2. किसान डेटा कैप्चर और संकलित करें
3. कृषि स्थान का भौगोलिक स्थान कैप्चर करना
4. किसान के प्लॉट का पेरिमीटर मैपिंग
5. किसान कई प्लॉटों में सक्षम होना चाहिए
6. जब कोई किसान मोबाइल ऐप खोलता है तो उसे उस अवधि के दौरान अपनाई जानेवाली कृषि प्रथाओं पर सलाह देना चाहिए ।
7. एप्प के ज़रिए प्रशिक्षण वीडियो (जैव नियंत्रण उत्पादन / ईपीएन /केंचुआ कंपोस्ट आदि) / पीडीएफ दस्तावेज़ प्रदान किया जाना चाहिए। वीडियो डाउनलोड करने के लिए प्रावधान।
8. एप्प पर स्पाइसेस बोर्ड की किसान योजनाओं का विवरण प्रदान करें।
9. ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पर काम करें।
10. जब किसान एप्प खोलता है, उस सप्ताह के लिए प्रासंगिक कृषि गतिविधि [अनुशंसित पैकेज ऑफ़ प्रैक्टिस (पी ओ पी)]के आधार पर फोन पर दिखाया जाना चाहिए।
11. किसान,अपनी फसल के लिए वैध कीटनाशकों की सूची देख सकते हैं।
12. दैनिक मूल्य सुविधा: किसानों के एप्प पर दैनिक मूल्य और रुख दिखानेवाला ग्राफ (दैनिक ऑटो अपडेट) होना चाहिए।
13. मौसम पूर्वानुमान: फोन पर 7 दिन का मौसम पूर्वानुमान देखें (बाहरी साइट से लिंक के माध्यम से)

## प्रकार्यात्मकताएं (चरण 2)

1. प्रत्येक किसान के मिट्टी परीक्षण परिणाम मैप करें और व्यक्तिगत सिफारिशें प्रदान करें
2. अंग्रेजी और हिंदी पर काम करना चाहिए (इसके होम स्क्रीन में नाम, अलर्ट और टेक्स्ट आइटम सहित सभी आइकन शामिल हैं)
3. प्रत्येक फसल किस्म और क्षेत्र के लिए अलग पीओपी लोड किया जाना चाहिए।
4. पीओपी द्वारा अनुशंसित प्रत्येक कार्यकलाप के लिए एकाधिक चित्र प्रदर्शन
5. एक मॉड्यूल प्रदान करें जिसके माध्यम से किसान नाशीजीवनाशक का उपयोग, उर्वरक का प्रयोग और विभिन्न अन्य कृषि गतिविधियों के संबंध में 'क्या करें और क्या न करें' पर जानकारी दे सकें ।
6. जैव खेती: जैव खेती अपनाने वाले किसानों को सभी संबंधित पैकेज ऑफ़ प्रैक्टिस मिलना चाहिए।
7. सरकार के मृदा कार्ड से किसान के मिट्टी परीक्षण का परिणाम लिंक करें और व्यक्तिगत किसानों के लिए उर्वरक सिफारिश की गणना करने हेतु इसका इस्तेमाल करें।
8. यहां तक कि जब कोई इंटरनेट नहीं है, तब भी किसानों को ऐप का उपयोग करके अपने क्षेत्र में कीट / बीमारी की पहचान करने में सक्षम होना चाहिए। एप्प तब विभिन्न निवारण उपायों जैसेकि जैविक नियंत्रण, रासायनिक नियंत्रण, आदि का सुझाव देगा।
9. कीट लचीलापन को कम करने के लिए, किसी भी कीट / बीमारी के लिए वैकल्पिक रसायनों का सुझाव दें।
10. एप्प में फसल की विभिन्न किस्मों का विवरण होना चाहिए। चित्र, वर्णन, आदि
11. दैनिक कृषि गतिविधियों को दर्ज करने के लिए किसान डायरी सुविधा
  - i. नाशीजीवनाशी प्रयोग
  - ii. खाद प्रयोग
  - iii. सिंचाई
  - iv. कटाई
  - v. फसलोत्तर कार्यकलाप
  - vi. पादप संरक्षण कोड
12. खेतों के दैनिक खर्चों को दर्ज करें और शीर्ष-वार सारांश व्यय और कुल लागत प्रदान करें।
13. किसान अनुरेखणीयता पर एक सर्वेक्षण भरने में सक्षम होना चाहिए।
14. किसानों को अपने ऑफ़र एप्प के माध्यम से पोस्ट करने में सक्षम होना चाहिए।
15. किसानों को अपने क्षमतायुक्त खरीदारों को एक डिजिटल डायरी,जिसमें सभी कृषि गतिविधियों का सारांश दिखाता हो, भेजने में सक्षम होना चाहिए । अपने उत्पाद के लिए प्रीमियम कमांड करने में सक्षम होना चाहिए।

16. किसानों के प्रस्तावों को संकलित किया जाएगा और स्पाइसेस बोर्ड के वेबसाइट के माध्यम से संभावित खरीददारों को दिखाया जाएगा ।
17. प्रशिक्षण वीडियो: प्रशिक्षण वीडियो या दस्तावेजों की विभिन्न श्रेणियां आयोजित की जानी चाहिए और एप्प में वीडियो डाउनलोड करने के लिए प्रावधान उपलब्ध हो ।
18. सभी एप्प समर्थन के बावजूद, किसानों को अभी भी अतिरिक्त समर्थन की आवश्यकता हो सकती है। फ़ीचर अपेक्षित है जिसके माध्यम से किसान समर्थन के लिए अनुरोध कर सकते हैं। उससे संबंधित चित्र या पाठ सामग्री को अपलोड करने में सक्षम होना चाहिए ।
19. स्पाइसेस बोर्ड के विशेषज्ञ की प्रतिक्रिया किसान के एप्प पर प्रदर्शित की जाएगी।
20. स्पाइसेस बोर्ड सभी किसानों या किसानों के समूहों को पुश अधिसूचनाएं भेजने में सक्षम होना चाहिए।
21. स्पाइसेस बोर्ड सभी किसानों या किसानों के समूहों को एसएमएस अलर्ट भेजने में सक्षम होना चाहिए (एसएमएस गेटवे स्पासेस बोर्ड द्वारा प्रदान किया जाएगा)

नोट:

- (क) स्पाइसेस बोर्ड द्वारा डेटा के प्रबंधन के लिए एडमिन स्क्रीन, PHP / MariaDB एक वेब एप्लिकेशन के रूप में किया जाएगा। ये स्क्रीनें मोबाइल प्लेटफार्म में भी होना आवश्यकता है। होस्टिंग प्लेटफार्म स्पाइसेस बोर्ड द्वारा प्रदान किया जाएगा।
- (ख) जीआईजीडबल्यू प्रमाणन चरण -2 की संभावना में है

1. **इ-निविदा प्रक्रिया**

अ) इस प्रक्रिया में मुफ्त एम एस टी सी इ-प्रोक्यूरमेंट पोर्टल के साथ विक्रेता का रजिस्ट्रीकरण शामिल है। रजिस्ट्रेशन के बाद ही, विक्रेता अपनी बोली इलेक्ट्रॉनिकी तौर पर प्रस्तुत कर सकता है। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली के साथ-साथ मूल्य-बोली प्रस्तुत करने के लिए इन्टरनेट द्वारा इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग किया जाएगा। विक्रेता को श्रेणी III साइनिंग टाइप डिजिटल प्रमाणपत्र प्राप्त करना चाहिए। विक्रेता द्वारा इन्टरनेट सहित पी सी से बोली लगाने की व्यवस्था स्वयं की जानी है। एम एस टी सी/स्पाइसेस बोर्ड ऐसी व्यवस्था करने के जिम्मेदार नहीं रहेंगे। (बिना डिजिटल हस्ताक्षर के, बोलियों को दर्ज नहीं किया जाएगा।)

**विशेष टिप्पणी :** मूल्य-बोली और वाणिज्यिक-बोली ऑन-लाइन द्वारा [http://www. mstcecommerce.com/eprohome/spiceb/buyer\\_login.jsp](http://www.mstcecommerce.com/eprohome/spiceb/buyer_login.jsp) को प्रस्तुत की जानी है।

**संपर्क व्यक्ति(एम एस टी सी)**

22. श्री अर्णब सरकार - मोब: 9986036012 asarkar@mstcindia.co.in

23. श्री रवीन्द्रनाथ - मोब: 7676456095 ravindranathkb@mstcindia.co.in

**ख) सिस्टम अपेक्षा:**

विंडोज़ 98/एक्स पी-एस पी 3 व उससे बेहतरिन / विंडोज़ 7 ओपरेटिंग सिस्टम

vii. विक्रेताओं को स्वयं [www. mstcecommerce.com](http://www.mstcecommerce.com) → e-Procurement → PSU/ Govtdepts. → SpicesBoard → Register as Vendor Filling up details and creating own user id and password → Submit से ऑनलाइन रजिस्टर करना अपेक्षित है।

viii. विक्रेता को रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय उनके द्वारा दिए गए इ-मेल में अपने रजिस्ट्रीकरण की पुष्टि के साथ सिस्टम जनरेटड मेल मिल जाएगा। किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, कृपया एम एस टी सी/स्पाइसेस बोर्ड से संपर्क करें (इ-निविदा के लिए निर्धारित समय से पूर्व)।

2.

• (क) तकनीकी-वाणिज्यिक बोली भाग- I एन आई टी में दिए अनुसार विनिर्दिष्ट तारीख और समय पर इलेक्ट्रॉनिक तौर पर खोली जाएगी। बोलीदाता इलेक्ट्रॉनिक तौर पर बोली का खोलना देख सकते हैं।

(ख) मूल्य-बोली, भाग II इलेक्ट्रॉनिक तौर पर केवल उन बोलीदाताओं के लिए खोली जाएगी, जिनकी तकनीकी- वाणिज्यिक बोली भाग I स्पाइसेस बोर्ड द्वारा तकनीकी- वाणिज्यिक तौर पर स्वीकार्य पाई जाती है। ऐसे बोलीदाताओं को उनके द्वारा पुष्ट वैध इ-मेल के

जरिए भाग । मूल्य बोली को खोलने की तारीख सूचित की जाएगी।

**नोट:**

बोलीदाताओं को अपनी अधिकतम संभाव्य दर बताने की सलाह दी जाती है। सामान्यतः इस पर कोई परक्रामण नहीं होगा, अतः मूल्य-बोली प्रस्तुत करते समय कृपया अपना सबसे प्रतियोगी मूल्य प्रस्तुत करें। फिर भी, वर्तमान विपणी- स्थितियों पर विचार करते हुए यदि न्यूनतम दर संगत पाई जाती है तो, न्यूनतम बोलीदाता को आदेश जारी किया जाएगा और उसके बाद भी दर उच्च मानी जाती है, वर्तमान अनुदेश / मार्ग-निर्देश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

3 निविदा की सभी प्रविष्टियों की, बिना किसी अस्पष्टता के ऑन-लाइन तकनीकी व वाणिज्यिक फॉर्मेट में प्रविष्टि की जानी चाहिए।

4 **लेनदेन शुल्क संबंधी विशेष टिप्पणी :** विक्रेता वेंडर लॉग-इन के "My Menu" के अंतर्गत "Transaction Fee Payment" लिंक का प्रयोग करके लेनदेन-शुल्क का भुगतान करेगा। विक्रेता को Event dropdown box से नियत निविदा का चयन करना पड़ता है। विक्रेता को या तो एन ई एफ टी द्वारा नहीं तो ऑनलाइन भुगतान द्वारा भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध है। एन ई एफ टी का चयन किया जाता है तो विक्रेता एक फॉर्म भरकर एक चालान तैयार करेगा। विक्रेता लेनदेन-शुल्क की राशि का भुगतान चालान में कोई परिवर्तन किए बिना, उसमें छुपे विवरणों के अनुसार करेगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, विक्रेता को अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके भुगतान करने का प्रावधान होगा। एम एस टी सी के नामित बैंक खाते में भुगतान के एक बार जमा होने पर लेनदेन-शुल्क स्वतः अधिकृत हो जाएगा और विक्रेता को सिस्टम जनित मेइल प्राप्त होगा।

**लेनदेन-शुल्क अप्रतिदेय है**

लेनदेन-शुल्क का भुगतान किए बिना विक्रेता ऑनलाइन इ-निविदा नहीं प्राप्त कर सकता है ।

**नोट:** विक्रेताओं को निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से पूर्व बहुत पहले ही लेनदेन-शुल्क का भुगतान करना चाहिए, जैसे कि एम एस टी सी द्वारा लेनदेन-शुल्क की प्राप्ति के बाद ही बोली प्रस्तुत करने के लिए उनको सक्रिय किया जाएगा।

**संपर्क :** फैंक्स नं : 033-22831002

इ-मेइल आई डी : [rpradhan@mstcindia.co.in](mailto:rpradhan@mstcindia.co.in)

बोलीदाता यह नोट करें कि लेनदेन-शुल्क बोलीदाता के खाते से उनके नामे जमा किया जाना चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा या उसके खाते से उसके नामे जमा किया गया लेनदेन-शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेनदेन-शुल्क अप्रतिदेय है।

यदि किसी कारणवश लेनदेन-शुल्क का भुगतान नहीं किए जाने के मामले में, विक्रेता

	उस अवधि में, ऑनलाइन इ-निविदा प्राप्त नहीं कर पाएगा।
5	विक्रेताओं को डोक्यूमेंट लाइब्ररी में दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए <b>My Menu</b> के <b>Upload Documents</b> लिंक का इस्तेमाल करने का अनुदेश दिया जाता है। एकाधिक दस्तावेज़ अपलोड किया जा सकता है। अपलोड करने हेतु एकल दस्तावेज़ का अधिकतम साइज़ 4 एम बी है। एक बार लाइब्ररी में दस्तावेज़ों को अपलोड किए जाने पर विक्रेताओं को नियत निविदा में <b>Attach Document</b> के ज़रिए दस्तावेज़ों को जोड़ना चाहिए। आगे सहायता के लिए <b>वेंडर गाइड</b> के अनुदेश देखें।
6	स्पाइसेस बोर्ड तथा एम एस टी सी (इ-प्रोक्यूरमेंट सर्विस प्रोवाइडर) द्वारा निविदा पर अंतिम निर्णय लिए जाने तक की प्रक्रिया के दौरान बोलीदाता(ओं) के लिए सभी सूचना और पत्राचार केवल इ-मेइल द्वारा भेजे जाएंगे। अतः बोलीदाताओं द्वारा यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि उनको दी गई कॉर्पोरेट इ-मेइल आई डी वैध है और एम एस टी सी (अर्थात् सर्विस प्रोवाइडर) के साथ विक्रेता के रजिस्ट्रीकरण के समय उसे अद्यतन बनाया जाता है। बोलीदाताओं से यह भी अनुरोध है कि वे अपने डी एस सी (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) की वैधता सुनिश्चित करें।
7	(i) कृपया नोट करें कि एन आई टी में बताए वेबसाइट से निविदा दस्तावेज़ डाउनलोड करने वालों की सूची लेने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे निविदा खोलने की नियत तारीख से पहले यह सुनिश्चित करने के लिए एक बार फिर वेबसाइट देखें कि निविदा दस्तावेज़ को डाउनलोड किए जाने के बाद उक्त निविदा के संदर्भ में कोई शुद्धिपत्र अपलोड किया गया है तो वह चूक नहीं गया है। <b>संबंधित शुद्धिपत्र यदि कोई है तो उसे डाउनलोड करने का दायित्व डाउनलोड करनेवालों का रहेगा।</b> (ii) इस एन आई टी के किसी शुद्धिपत्र (यदि कोई है) के बारे में कोई अलग सूचना उन बोलीदाता(ओं) को नहीं भेजी जाएगी, जिन्होंने वेबसाइट से दस्तावेज़ों को डाउनलोड किया है। कृपया एम एस टी सी लिमिटेड का वेबसाइट <a href="http://www.mstcecommerce.com/eprochome/spiceb">http://www.mstcecommerce.com/eprochome/spiceb</a> देखें।
8	एन आई टी में बताई नियत तारीख और समय के बाद इ-निविदा प्राप्त नहीं की जा सकती है।
9	<b>इ-निविदा में बोली लगाना और प्रतिवर्ती नीलामी</b> क) इ-निविदा में ऑनलाइन बोली लगाने के पात्र बन जाने के लिए बोलीदाता द्वारा अपेक्षित ई एम डी, निविदा शुल्क (यदि कोई है तो) और लेनदेन- शुल्क प्रस्तुत किया जाना चाहिए। निविदा-शुल्क और लेनदेन-शुल्क अप्रतिदेय हैं। ई एम डी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल बोलीदाता(ओं) को उनकी ई एम डी की प्रतिपूर्ति स्पाइसेस बोर्ड द्वारा की जाएगी। बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से पूर्व स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची को ई एम डी वस्तुगत रूप में भेज दी जानी चाहिए।

ख) इस प्रक्रिया में तकनीकी-वाणिज्यिक बोली के साथ-साथ मूल्य-बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग शामिल है।

इ) उपरोक्त शुल्क प्रस्तुत करने वाले बोलीदाता ही एम एस टी सी वेबसाइट [www.mstcecommerce.com](http://www.mstcecommerce.com)  $\rightarrow$  e-procurement PSU/Govt Depts  $\rightarrow$  Spices board Login  $\rightarrow$  My menu  $\rightarrow$  Auction Floor Manager  $\rightarrow$  live event  $\rightarrow$  Selection of the live event में इन्टरनेट के ज़रिए अपनी तकनीकी-वाणिज्यिक बोलियाँ और मूल्य-बोलियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं।

ग) बोलीदाता द्वारा जोखिम उठाते हुए और *on run* क्लिक करके *enApple* नामक एप्लिकेशन को चालू होने दिया जाना चाहिए। *Techno-Commercial bid* पर क्लिक करने के तुरंत बाद लगातार दो बार ऐसा करना चाहिए। यदि एप्लिकेशन चालू नहीं है तो बोलीदाता अपनी बोली "*save/submit*" नहीं कर पाएगा।

घ) तकनीकी-वाणिज्यिक बोली भरने के बाद बोलीदाता को अपनी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली दर्ज करने के लिए "*Save*" क्लिक करना चाहिए। एक बार ऐसा करने पर, *price bid* लिंक सक्रिय बन जाता है और उसे भर देना चाहिए और तदुपरान्त बोलीदाता को अपनी मूल्य-बोली दर्ज करने के लिए "*Save*" क्लिक करना चाहिए। इस प्रकार एक बार तकनीकी-वाणिज्यिक बोली व मूल्य-बोली *save* हो जाती हैं, बोलीदाता अपनी बोली रजिस्टर करने के लिए "*submit*" बटन क्लिक कर सकता है।

ड.) सभी मामलों में, अपनी बोली प्रस्तुत करते समय बोलीदाता द्वारा डिजिटल सिग्नेचर के साथ अपनी आई डी और पासवर्ड का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

च) पूरी इ-निविदा प्रक्रिया के दौरान, बोलीदाता एक दूसरे के लिए और हर किसी के लिए भी पूर्णतः अज्ञात रहेंगे।

छ) इ-निविदा सुविधा इस के लिए पूर्व-घोषित तारीख व समय से और ऊपर बताए अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगी।

ज) इ-निविदा प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत की जाने वाली सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियाँ बोलीदाता पर कानूनी तौर पर बाध्यकारी रहेंगी। कोई भी बोली बोलीदाता द्वारा दी गई वैध बोली मानी जाएगी और क्रेता द्वारा उसकी स्वीकृति आपूर्ति के लिए क्रेता और बोलीदाता के बीच एक बाध्यकारी ठेका बनेगी। ऐसे सफल निविदाकार को आगे **आपूर्तिकर्ता** कहा जाएगा।

झ) सभी बोलियाँ अनिवार्यतः डिजिटल सिग्नेचर प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत की जानी हैं अन्यथा सिस्टम द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ञ) क्रेता निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से, जैसे भी हो, उसका कोई कारण बताए, रद्द या निरस्त या स्वीकार या वापस लेने या बढ़ाने का अधिकार रखता है।

ट) निविदा-दस्तावेज़ के निबंधनों व शर्तों से कोई विचलन अनुमत नहीं है। किसी भी बोलीदाता द्वारा इ-निविदा सुविधा में बोली की प्रस्तुति निविदा के निबंधनों व शर्तों की स्वीकृति की पुष्टि

	<p>करती है।</p> <p>ठ) मापन-यूनिट[ यू ओ एम] इ-निविदा सुविधा में सूचित है। इ-निविदा सुविधा/ निविदा दस्तावेज़ में सूचित यू ओ एम के अनुसार, कोट की जाने की दर भारतीय रुपए में होनी चाहिए।</p>
10	इस मुक्त इ-निविदा के सिलसिले में जारी कोई आदेश उसमें बताए निबंधनों व शर्तों के अनुसार नियंत्रित होगा।
11	तकनीकी व वाणिज्यिक निबंधनों व शर्तों से विचलन अनुमत नहीं है।
12	ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने और एक बार डिजिटल सिग्नेचर के साथ यह प्रस्तुत की गई है, उसके बाद बोलीदाता निविदा प्राप्त नहीं कर सकता।
13	स्पाइसेस बोर्ड , कोच्ची बिना कोई कारण बताए इस इ-निविदा को रद्द करने या बोली(यों) को स्वीकार करने की तारीख बढ़ाने का अधिकार रखता है।
14	ऑनलाइन निविदा एम एस टी सी लिमिटेड के वेबसाइट <a href="http://www.mstcecommerce.com/eprochome/spiceb">http://www.mstcecommerce.com/eprochome/spiceb</a> में वास्तव में दिए गए निबंधनों व शर्तों व कार्य-विधि के अनुसार प्रस्तुत की जानी चाहिए।
15	बोलीदाता अनिवार्यतः एन आई टी के निबंधनों के अनुसार सभी दस्तावेज़ों को अपलोड या संलग्न करें। अन्य किसी भी दस्तावेज़ अपलोड किया गया है, जो एन आई टी के निबंधनों के अनुसार अपेक्षित नहीं है, उस पर विचार नहीं किया जाएगा।
16	बोली का मूल्यांकन भरी हुई तकनीकी एवं वाणिज्यिक फॉर्मेटों के आधार पर किया जाएगा ।
17	बोलीदाता(ओं) द्वारा अपलोड व संलग्न किए गए दस्तावेज़ों की संवीक्षा की जाएगी। संवीक्षा के दौरान बोलीदाता द्वारा दी गई कोई भी सूचना गलत पाए जाने के मामले में, चूककर्त्ता बोलीदाता(ओं) की ई एम डी जब्त कर दी जाएगी। चूककर्त्ता बोलीदाता(ओं) के खिलाफ निलंबन या कारबार से रोक जैसी दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।
18	एम एस टी सी के इ-प्रोक्यूरमेंट मार्ग-निर्देशों के लिए विक्रेता नीचे दिए लिंक के पीडीएफ दस्तावेज़ देख सकते हैं: <a href="http://www.mstcecommerce.com/eprochome/UserManualVendor.pdf">http://www.mstcecommerce.com/eprochome/UserManualVendor.pdf</a>



अनुबंध-3 : जांच सूची

क्रम सं.	दस्तावेजों का नाम	जी हाँ	जी नहीं	पृष्ठ संख्या
1	पात्रता 4.1 के लिए ग्राहक द्वारा जारी परियोजना पूर्ति/संतुष्टि प्रमाणपत्र			
2	पात्रता 4.2 के लिए ग्राहक द्वारा जारी परियोजना पूर्ति/संतुष्टि प्रमाणपत्र			
3	पात्रता 4.3 के लिए स्व:घोषणा पत्र			
4	पात्रता 4.4 के लिए ग्राहक द्वारा जारी कार्य आदेश की स्वतः सत्यापित प्रतियाँ / प्रमाणपत्रों की प्रतियाँ			
5	पात्रता 4.5 के लिए स्व:घोषणा पत्र			
6	पात्रता 4.6 के लिए सूचित किए अनुसार अंतर होने के मामले में पैन धारक से पैन की प्रति एवं पत्र			
7	पात्रता 4.7 के लिए जीएसटीएन प्रमाणपत्र की प्रति			
8	पात्रता 4.8 के लिए ईएमडी /ईएमडी पर छूट प्रमाणपत्र, यदि लागू हो, की प्रति			
9	पात्रता 4.9 के लिए स्व:घोषणा पत्र			